न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./95/2024/बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. राणाराम पुत्र श्री रूपाराम 2. नरसींगाराम पुत्र रूपाराम 3. राजाराम पुत्र रूपाराम 4. वालाराम पुत्र नैनाराम 5. नैनुदेवी पत्नी नैनांराम जाति मेघवाल निवासी मालियो की ढाणी नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. अगराराम पुत्र छोगाराम 2. अंतरो पत्नी छोगाराम जाति मेघवाल निवासी मालियो की ढाणी नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार गुड़ामालानी 4. शाखा प्रबंधक बी सी सी बी शाखा गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2021 बउनवान उगराराम वगैरह बनाम राणाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.04.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत उत्तरदाता संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांक:–16.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/उत्तरदाता संख्या 01 से 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि अपीलकर्तागण एवं उत्तरदाता संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 592/1 रकबा 51.11 बीघा, खसरा संख्या 592/3 रकबा 08 बीघा कुल रकबा 59.11 बीघा मौजा मालियो की ढाणी पटवार क्षेत्र नगर तहसील गुड़ामालानी में आये हुए है। सम्पूर्ण अपीलाधीन आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 04 व 05 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है। इस प्रकार वादीगण का अपीलाधीन आराजी में कुल रकबे का 1/8 हिस्सा है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन आराजी का कानूनी रूप से बंटवारा नही कर अपने अपने खातेदारी हिस्सा पृथक किये हुए नहीं होने से प्रतिवादीगण व वादी के हिस्से व कब्जे काश्त में दखलदांजी करते है ऐसी स्थिति में वादीगण अपने खेतों का विभाजन कर वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा अलग करवाने एवं अपने हिस्से की भूमि को बंटवारा करवाने के लिए हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित मौका दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकतरफा पारित की गई। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुड़ामांलानी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर आर. आई द्वारा उतरदाता/वादी के प्रभाव में आकर वादग्रस्त भूमि पर जाये बिना कार्यालय में बैठकर वादीगण/उत्तरदाता के कहे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरीत तैयार किया गया, जिस पर अपीलांटस के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान के भौतिक कब्जा, भूमि की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांटस को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिये गये। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलाधीन आराजी पर कब्जा काश्त की जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण की विधिसम्मत तामील करवाई गई। अपीलांटगण जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलांटस द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील पेश नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित थे लेकिन विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किये। अपीलांटस की मंशा उत्तरदाता/वादी के खातेदारी अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर बंटवारा नहीं होने देने की है। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अर्सा एक सप्ताह पूर्व वादग्रस्त खेत की भूमि में वादी संख्या 01 व 02 द्वारा अपीलकर्ता के कब्जे एवं काश्त के अनुसार मौके पर फेर बदल करने पर उतारू हुए तथा न्यायालय से निर्णय करवाने की बात कही जिस पर अपीलकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उक्त पत्रावली का पता लगाकर उक्त निर्णय व डिक्री नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिस पर नकल दिनांक 12.07.2022 को मिली नकल मिलने से यह अपील अन्दर मियाद पेश की गई। वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

उत्तरदाता अधिवक्ता ने धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपील देरी से पेश करने का कोई सद्भाविक कारण भी नहीं है। अपीलांटगण के द्वारा अपील पेश करने में हुए विलंब के एक एक दिन का हिसाब नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान अपीलांटगण को कब? कहां? किसके माध्यम? से हुआ कोई स्पष्ट नहीं किया गया। अतः अपीलांटगण का उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज कर अपील को इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अपीलांटगण का धारा 05 का प्रार्थना–पत्र अपीलांटस द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद दर्ज होने के पश्चात अपीलांटगण के नाम रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये गये जो पर्याप्त तामील की श्रेणी में आते हैं लेकिन अपीलांटगण जानबूझकर तामील होने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटस द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार की पृथक से अपील पेश नहीं की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलांटस को प्राथमिक निर्णय व डिक्री

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

स्वीकार्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश किया, जिस पर दिनांक 25.04.2022 को अंतिम डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांटस मौके पर उपस्थित आये लेकिन विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार गुड़ामालानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2021 बउनवान उगराराम वगैरह बनाम राणाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.04.2022 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

16/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर